

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 202A / 2017

दर्ज दिनांक:—01.07.2003

1. सुरेन्द्र

पता—

.....प्रार्थी

2. राज0 सरकार

पता—

.....अप्रार्थीगण

ललता प्रसाद

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 02.11.2018

वकील उभयपक्ष उपस्थित/प्रार्थीगण की तलवी बार-बार अवसर देने की बार भी नहीं कराई गई। प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं हे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ओ-9-नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर